

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (इन्दौर कैम्प)

R-3919-PBR/14

के समक्ष

श्री नारायण शरिया
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 17/11/14
को प्रस्तुत ✓
834/17-11-2014

सतीश पिता श्री धन्नालाल कश्यप
उम्र : 50 वर्ष, धंधा : ईट का भट्टा व खेती,
निवासी : लक्ष्मणपुरी कॉलोनी,
गाडराखेड़ी, इन्दौर (म.प्र.)

-- प्रार्थी
(मूल प्रतिप्रार्थी)

25/11/14 को
18-11-14 को
म.प्र. शासन
द्वारा

विरुद्ध

म.प्र.शासन, द्वारा तहसीलदार (नजूल)
तह. व जिला इन्दौर (म.प्र.)

-- प्रतिप्रार्थी
(मूल प्रार्थी)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि :-

20-11-14

यह कि, प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील क्रं. 402/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2014 जिसके द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त करते हुए श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, इन्दौर द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील क्रमांक 49/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28-12-2012 जिसके द्वारा प्रार्थी की प्रथम अपील निरस्त की गई है एवं श्रीमान तहसीलदार (नजूल), इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 147/अ-68/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05-10-2012 जिसके द्वारा तहसीलदार महोदय ने प्रार्थी के विरुद्ध धारा 248 म.प्र.भू.रा. संहिता के अंतर्गत बेदखली आदेश पारित किया है, को यथावत रखा गया


अविरत.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3919—पीबीआर/14

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-5-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18.9.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने पर उसके द्वारा राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराये जाने का कथन किया गया । तदनुसार राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराये जाने पर भी प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण पाया गया है । प्रश्नाधीन भूमि अतिशेष घोषित होने के उपरांत दिनांक 3.4.89 को कब्जा प्राप्ति की पंचनामा बनाया गया है, अतः इसके पश्चात् विक्रेता का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व नहीं रह गया है, इसलिये आवेदक के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा भी शून्यवत् है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p style="text-align: right;">  (मनोज गोयल) अध्यक्ष </p>